विधान परिषद के तृतीय सत्र, 2023 के प्रथम गुरूवार हेतु निर्धारित श्री आशुतोष सिन्हा, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-17 का उत्तर :-

प्रश्न	उत्तर
17 (क) क्या महिला कल्याण मंत्री बतायेंगे कि राजकीय बाल गृहों आदि में रह रहे उपेक्षित बच्चों को पौष्टिक भोजन न मिलने, खेल के मैदान की सुविधा नहीं होने बच्चों की अत्यधिक संख्या एवं खराब स्थिति को अवलोकित करते हुए मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश की गंम्भीर टिप्पणी राजकीय गृहों की हालत जेल से भी बदतर हो गयी है, के सम्बन्ध में राज्य सरकार की छवी धूमिल करने वाले उत्तरदायी योजना अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करेंगे ?	महिला कल्याण विभाग द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदेश में 58 बाल देखरेख संस्थाओं का संचालन किया जा रहा है। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या-2495/2023 Suo Moto बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य लंबित है। प्रश्नगत याचिका में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन विभाग द्वारा किया जा रहा है।
(ख) क्या सरकार मिशन वात्सल्य के अर्न्तगत अनुरक्षण मद, सामग्री सम्पूर्ति मद व अन्य व्यय के मद में जनपद-प्रयागराज वाराणसी, लखनऊ, आगरा, बरेली और सहारनपुर में विगत 5 वर्ष में प्राप्त करोड़ों के बजट में हुए घोटाले/भ्रष्टाचार की जांच करायेगी ?	महिला कल्याण विभाग द्वारा मिशन वात्सल्य के अर्न्तगत अनुरक्षण मद, सामग्री सम्पूर्ति मद व अन्य व्यय के मद में जनपद-प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, आगरा, बरेली और सहारनपुर में नियमानुसार धनराशि का आवंटन विगत वर्षों में किया गया है। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जनपदों का लेखा परीक्षण किया जाता है। इसके अतिरिक्त महिला कल्याण विभाग के द्वारा भी आंतरिक लेखा परीक्षण कराया जाता है। उपरोक्त जनपदों में संबंधित मदों में हुए व्यय के संबंध में अनियिमतता की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।
(ग) यदि हॉ, तो कब तक ?	प्रश्न नहीं उठता।
(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	उपरोक्तानुसार।

बेबी रानी मौर्य

मंत्री ।